पंचायत निगरानी संख्या : 33/2025
उनवान : रघुनाथ बनाम हेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 33/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/46

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
रघुनाथ पुत्र टिकमजी जाति मेघवाल निवासी धणी, तहसील बाली, जिला पाली राज.	बनाम	1. हेमाराम पुत्र टिकमजी जाति मेघवाल, निवासी धणी, तहसील बाली जिला पाली राज. 2. ग्राम पंचायत धणी, द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत धणी, तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत धणी द्वारा मिसल संख्या 38/82–83 के तहत पट्टा संख्या 32 दिनांक 13.02.83 को जारी किया गया के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी व सुरेश कुमार मीणा।

–:निर्णयः–

दिनांकः 28.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत चाणौद के ग्राम पंचायत धणी द्वारा मिसल संख्या 38/82–83 के तहत पट्टा संख्या 32 दिनांक 13.02.83 को जारी किया गया के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है किः–

1. यह है कि ग्राम धणी तहसील बाली में टिकमजी पुत्र हतनाजी ऐपा निवासी धणी की जायदाद निम्न पड़ौस की स्थित हैः–
   पूर्व मेंः– आम रास्ता
   पश्चिम मेंः– बगदा, हका पुत्र लछाजी का मकान
   उत्तर मेंः– आम रास्ता
   दक्षिण मेंः– आम रास्ता
   उपरोक्त पड़ौस का मकान पूर्व से पश्चिम 22.5 फीट, एवं उत्तर से दक्षिण में पश्चिमी भुजा 73 फीट व उत्तर से दक्षिण पूर्वी भुजा 69.5 फीट नाप का परिसर टिकमजी का मालिकाना का रहा है एवं उक्त मकान हमारा पुश्तैनी मकान रहा है।
2. यह है कि टिकमजी पुत्र हतनाजी ऐपा के कुल 4 संताने थी, जिनके आपस में कोई बंटवाडा नहीं हुआ था।
3. यह है कि प्रार्थी के भाई हेमाराम ने दिनांक 11.06.83 को एक आवेदन पंचायत में पट्टे हेतु पेश किया, जिस पर हस्ताक्षर मेरे दुसरे भाई वरदाराम के द्वारा किये गये। जिस पर मिसल संख्या 38 सन 82–83 कायम कर विधि विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त हेमाराम के नाम से पट्टा जारी करने का दिनांक नील को आदेश पारित किया गया था। लेकिन जब हेमाराम के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया। उस वक्त हेमाराम की उम्र 13 वर्ष थी जो प्रथम दृष्टया कुटरचना प्रतीत होती है प्रार्थी और अप्रार्थीगण के बीच में कोई बंटवाडा सन 1983 में नहीं हुआ था, टीकमजी के केवल ही उत्तराधिकारी नही होकर कुल 3 उत्तराधिकारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 33 / 2025

उनवान : रघुनाथ बनाम हेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

रघुनाथराम, वरदाराम, हेमाराम वारिसान रहे है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा पंचायत की मिली भगत से हेमाराम द्वारा प्राप्त किया गया है। उस कारण से उपरोक्त जैर निगरानी पट्टा को निरस्त करवाने हेतु उपरोक्त निगरानी पेश की जा रही है।

4. यह है कि जैर निगरानी पट्टा एवं आदेश पारित करने से पूर्व पंचायत सामान्य नियम 1961 के समस्त नियमों की पालना नही कही गई एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए जैर निगरानी पट्टा मय आदेश जारी किया जो अवैध है।
5. यह है कि उपरोक्त विगत में आदेशिका दिनांक 28.11.82 में आगामी पेशी दिनांक खाली रखी हुई है एवं हरताक्षर भी सरंपच के हस्ताक्षर से भिन्न किए हुए हैं हेमाराम द्वारा जो आवेदन किया गया है। उसमें न तो नाप चौक अंकित है न ही क्षेत्रफल अंकित है। मौका निरीक्षण हेतु जो प्रपत्र विसन में सलंग्न है उसमें भूमि का क्षेत्रफल में पूर्ण रुप से कांट–छांट की गई है। उपरोक्त नियम में आदेशिका दिनांक 01.08.1982 में पंच श्री कुपाराम व रघुनाथ को मनोनित किया था, लेकिन मिसल में जो जो बयान दर्ज है, उन पंचों का नाम खंगार पुत्र चेलाजी व टीकम पुत्र कुपाजी है। व उक्त बयानों में भी पड़ौस व क्षेत्रफल वगैरा अंकित नही है।
6. यह है कि जैर निगरानी पट्टे से प्रार्थी प्रथम दृष्टया व्यथीत व प्रभावित पक्षकार है। क्योंकि उपरोक्त पट्टे में कूटरचना कर हेमा व रघुनाथ द्वारा हेमा के नाम से पट्टा दर्ज करवा दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त पट्टे को निरस्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश की जा रही है उक्त पट्टा अस्तित्व में रहने से प्रार्थी के विधिक रुप से टिकमजी के बतौर वारिस के रुप में प्राप्त होने वाले हक, हकूक, अधिकार स्वामित्व प्रथम दृष्टया प्रभावित हो रहे है।
7. यह है कि जैर निगरानी पट्टे में प्रार्थी प्रथम दृष्टया व्यक्ति व प्रभावित पक्षकार है। क्योंकि उपरोक्त पट्टे में पंचायत व हेमाराम की मिली भगत से कुटरचना कर पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त पट्टे को निरस्त करने के लिए प्रार्थी निगरानी पेश की जा रही हैं। उक्त पट्टा अस्तित्व में रहने से प्रार्थी के विधिक रुप से टिकमजी के बतौर वारिस के रुप में प्राप्त होने वाले हक हकूक अधिकार, स्वामित्व प्रथम दृष्टया प्रभावित हो रहा है।

अतः प्रार्थी की ओर से निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत धणी की मिसल संख्या 38–82'83, पट्टा संख्या 32 दिनांक 13.02.83 जो अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी किया है, उसे निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 एक में बताये गये मकान अप्रार्थी संख्या 01 का हैं जिस पर अप्रार्थी अपना मकान बनाकर परिवार सहित रह रहा हैं। जिससे यह पद गलत होने से अस्वीकार है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 में वर्णित बाते टिकमजी पुत्र हतनाजी के चार 04 संताने थी तथा इनके मध्य स्व. टिकमजी ने जीवनकाल में ही मौखिक रुप से बंटवाडा हो चुका हैं जिससे यह तथ्य व वाद गलत होने से इनकार है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार हैं क्योंकि स्वर्गीय टिकमजी के जीवनकाल में ही सन् 1983 में मौखिक बंटवाडा हो चुका था जिससे इस बंटवाडे के तहत अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में यह भुखण्ड आया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने मेहनत मजदूरी कर इस भुखण्ड पर अपने परिवार के रहवास हेतु मकान बनाया तथा इस भुखण्ड का पट्टा संख्या 32 दिनांक 13.02.1983 को जारी शुदा व मिसल संख्या 38 सन 82–83 अप्रार्थी संख्या एक हेमाराम द्वारा पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत धणी पाली में नियमानुसार तमाम कार्यवाही की गई हैं। इस पट्टा बनाने की सम्पूर्ण कार्यवाही में स्व. टिकमजी के सभ संताने शामिल व अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत धणी ने नियमानुसार कार्यवाही कर सभी की सर्व सहमति से पट्टा बनाने का निर्णय लिया गया है। व पंचायत धारा कार्यवाही आज्ञाओं की सूची में प्रार्थी रघुनाथराम पुत्र टिकमजी ने भी अपने हस्ताक्षर किये हुए है सम्पूर्ण कार्यवाही का सर्वसहमति से निर्णय लिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत धणी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर मिसल संख्या 38–82–83 पर सभी भाईयों की सहमति लेकर मौका नक्शा बनाकर आपत्ति सूचना पत्र जारी कर गवाहान के समक्ष दर्ज अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत धणी ने यह पट्टा संख्या 32 जारी किया है जिसकी जैर निगरानी पट्टा निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा पेश की गई हैं। जो गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 33 / 2025

उनवान : रघुनाथ बनाम हेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 04 में प्रार्थी यह मान रहा हैं अप्रार्थी संख्या एक ने पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत धणी में आवेदन पत्र पेश किया गया जिस पर अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी हुअ। प्रार्थी रघुनाथ उक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में टिकमाजी पुत्र हतनाजी के 04 संताने बता रहा हैं जबकि इस पद में प्रार्थी टिकमजी के केवल 03 ही उत्तराधिकारी बता रहे है तथा प्रार्थी रघुनाथराम अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम का भाई होने से हमेशा ही अप्रार्थी का पट्टा बनाने की कार्यवाही में साथ साथ रहकर पट्टा बनवाया और प्रार्थी के पंचायती तमाम कार्यवाही में जगह–जगह हस्ताक्षर हैं तथा पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम के मकान पर प्रार्थी ने कब्जा करने की कोशिश की थी जिसका भी अप्रार्थी हेमाराम ने पुलिस थाना फालना में मुकदमा दर्ज करवाया था जिस प्रकरण में प्रार्थी रघुनाथराम व उसके पुत्र किशोर व पुत्रवधु पुनम के विरुद्ध पुलिस थाना फालना द्वारा चालान पेश किया गया जो दो अलग अलग प्रकरण रघुनाथराम व उसके परिवार वालों के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाली राजस्थान के न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस अनुसंधान में प्रार्थी रघुनाथराम को दोषी मानकर मुलजिम बनाया गया है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी हेमाराम का पट्टाशुदा मकान पर कब्जा करने की नियम से हड़पना चाहता हैं।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाव यह है कि अप्रार्थी हेमाराम गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति है जिसकी पत्नी भंवरीदेवी भी दोनों पैरो से विकलांग औरत है तथा इसके दो छोटी–छोटी पुत्रियां ही होने से प्रार्थी, हमारे पट्टाशुदा मकान पर कब्जा करना चाहता हैं क्योंकि प्रार्थी व उसका पुरा परिवार संख्या में ज्यादा होने के कारण प्रार्थी रघुनाथराम के 7–8 पुत्र होने के कारण आये दिन लोगो से लड़ाई झगडा करता रहता है। व गरीब लोगो के मकान पर कब्जा करने का ही धन्धा करता है। अप्रार्थी हेमाराम व इसके परिवार को प्रार्थी रघुनाथराम साजिश कर उसके घर व गांव से बाहर निकालना चाहता है ताकि अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम के रहवासी मकान पर कब्जा कर सके। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत धणी द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया है। जिस पर प्रार्थी की नियत में खोट आने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 को बेघर करना चाहता है व यह गलत विधि विरुद्ध निगरानी पेश की गई जो काबिल खारिज के है। जिससे प्रार्थी के विरुद्ध अलग से कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम को राहत प्रदान करावें। जिससे यह पद अस्वीकार है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 का जवाव यह है कि ग्राम पंचायत धणी की पट्टा बनाने की कार्यवाही की आदेशिका दिनांक 28.11.1982 पूर्णतया सही व नियमानुसार होने से अप्रार्थी का पट्टा पुराने बनने के आधार पर सभी की सर्वसहमति से निर्णय लेकर पट्टा बनाया गया हैं तथा मौजुद पंचों के बयान लेकर पट्टा बनाया गया है तथा आदेशिका अनुसार गवाहान के बयान दिये गये है। गवाहान ने भी अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम का मकान पुराना माना हैं तथा किसी भी अन्य सख्श को आपत्ति नहीं होने से ग्राम पंचायत धणी ने हेमाराम के पक्ष में पट्टा जारी किया जो पट्टा संख्या 32 सही है तथा इनके पड़ौस व नाप तौल भी सही होने से यह पद पूर्णतया गलत व मनगढन्त होने से अस्वीकार है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 07 में वर्णित तथ्य गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार हैं इसमें अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम ने ग्राम पंचायत धणी ने कोई भी कूटरचना नहीं की की है अगर ऐसा होता तो हेमाराम के विरुद्ध पूर्व में प्रार्थी को मुकदमा दर्ज करवाना था लेकिन प्रार्थी ने ऐसा नहीं किया मात्र अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम की संपति हड़पने, कब्जा करने की नियत से यह गलत बयान पेशकर अप्रार्थी को परेशान किया जा रहा है। पूर्व में भी अप्रार्थी व उसके परिवार के साथ प्रार्थी व इसके परिवार ने घर में घुसकर मारपीट कर लज्जा भंग करने के प्रकरण प्रार्थी व इसके परिवार के विरुद्ध बाली कोर्ट में विचाराधीन हैं तथा पद संख्या 07 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं तथा अप्रार्थी की गरीब, स्थिति को देखते हुए प्रार्थी को गलत व झूठा परेशान करने के लिए यह निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की हैं जिसका हर्जाना भी अलग से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलवाया जावें। टिकमजी के सभी वारिशान अपने–अपने हिस्सो में रह रहे है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकार प्रभावित नही हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम का हक व अधिकार जरुर प्रभावित हो रहा है।

8. यह है कि अन्य आधार व वजूहांत बरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

अतः अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका गलत तथ्यों व मिथ्या पेश करने से खारिज फरमावें व

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 33/2025

उनवान : रघुनाथ बनाम हेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थी को ग्राम पंचायत धणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 13.02.1983 मिसल संख्या 38/82–83 सही रुप से नियमानुसार जारी होने से अप्रार्थी हेमाराम को परेशान करने की नियम से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जिससे अप्रार्थी को प्रार्थी रघुनाथराम से कानूनन खर्चा दिलवाया जावें क्योंकि अप्रार्थी एक गरीब चयनित(बी.पी.एल.) परिवार से है। प्रार्थी की निगरानी याचिका मय खर्चा खारिज फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 22.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मौके की भौतिक स्थिति तलब करने को एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने मियाद के बिन्दु पर आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी ने निगरानी याचिका विरुद्ध ग्राम पंचायत धणी द्वारा मिसल संख्या 38/82–83 के तहत पट्टा संख्या 32 दिनांक 13.02.1983 जो पट्टा जारी किया गया इसके विरुद्ध पेश की गई है जो उपरोक्त रिवीजन याचिका 42 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार रिवीजन याचिका 03 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिये थी जबकि उक्त रिवीजन याचिका 42 वर्ष की अवधि पश्चात प्रस्तुत की गई है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने के काबिल है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा अवधि पश्चात याचिका प्रस्तुत किये जाने से व इस तरह के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार दिवानी न्यायालय को होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किये जाने के काबिल है।

अतः अप्रार्थीगण हेमाराम की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी श्रीमान के समक्ष श्रवणाधिकार की नहीं होने एवं अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने उक्त मियाद–आपत्ति का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी को आलोच्य पट्टा विलेख की जानकारी प्रारम्भ से ही होने का कथन निराधार है। प्रार्थी को ज़ेर निगरानी पट्टा विलेख की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.12.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई। साथ ही, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है। अतः हस्तगत प्रकरण का गुणावगुण आधार पर विनिश्चय किया जाए तथा अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत मियाद सम्बन्धि आपत्ति को खारिज की जावे।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका के अवधिबाधित होने सम्बन्धि आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया।

विधिक स्थिति यह है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 97 के अन्तर्गत किसी पंचायतीराज संस्था के आदेश/कार्यवाही इत्यादि के विरुद्ध निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है किन्तु परिसीमा अधिनियम 1963 की प्रथम अनुसूची पद संख्या 113 के अनुसार जिस न्यायिक कार्यवाही हेतु कोई परिसीमा अभिनिर्धारित नहीं की गई है, वहाँ परिसीमा काल तीन वर्ष माना जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत निगरानी याचिका के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों में माननीय न्यायालयों द्वारा यह न्यायिक सिद्धान्त अभिलिखित किया गया है कि पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने में 'असामान्य विलम्ब' स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह प्रश्न निर्धारण योग्य है कि अप्रार्थी के कथनानुसार:–

"क्या याचिकाकर्ता श्री रघुनाथ द्वारा हस्तगत पंचायत निगरानी असामान्य विलम्ब के उपरान्त प्रस्तुत की गई है?"

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाबपत्र के पद संख्या तीन में यह आक्षेपित किया है कि ज़ेर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित मूल मिसल पत्रावली में स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है अर्थात् प्रार्थी रघुनाथराम को पट्टा विलेख से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही की तत्समय से ही जानकारी रही है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 33 / 2025
उनवान : रघुनाथ बनाम हेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत धणी की मूल मिसल पत्रावली 38 / 82–83 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त मिसल की आज्ञाओं की सूची में अन्तिम आदेशिका दिनांक 13.02.1983 पर बतौर गवाह प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है जो कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वकालतनामें में अंकित उनके हस्ताक्षर के समदृश्य प्रतीत होते है। इसी प्रकार आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 32 के पिछले पृष्ठ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी ने याचिकापत्र में अथवा सुनवाई के किसी भी स्तर पर इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है कि उक्त हस्ताक्षर स्वयं प्रार्थी रघुनाथ के है। अर्थात यह स्वीकार्य स्थिति (Admitted Position) है कि अन्तिम आदेशिका दिनांक 13.02.1983 तथा पट्टा विलेख संख्या 32 के प्रति पृष्ठ पर स्वयं प्रार्थी श्री रघुनाथ के हस्ताक्षर है इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रार्थी को ज़ेर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख की जानकारी प्रारम्भ से ही अर्थात् पट्टा निष्पादन तिथि दिनांक 13.02.1983 से ही रही है। किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा विलेख के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 03.02.2025 को 42 वर्ष बाद निगरानी याचिका प्रस्तुत की जबकि प्रार्थी को आलोच्य पट्टा विलेख सम्बन्धि कार्यवाही का प्रारम्भ से ही साक्षी रहा।

सारांशतः, प्रार्थी द्वारा 42 वर्ष के 'असामान्य विलम्ब' उपरान्त ज़ेर निगरानी पट्टा विलेख को चुनौति देने एवं उक्त विलम्ब अवधि के उपशमन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत पृथक आवेदन पत्र के अभाव में अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत मियाद सम्बन्धि आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका बेरुन मियाद होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)